शहरी विकास मंत्रालय
बतिस्वेतना
नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2014

साहित्य. 898(ब)---केंद्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शर्तों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (दुर्योग या सुरक्षा और जांच) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रकट होगे।

2. परिभाषाएँ---(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) “अधिनियम” से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभियंत्र है।
(ख) “आयुक्त” से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त अभियंत्र है।
(ग) “प्ररूप” से इन नियमों में संलग्न कोई प्ररूप अभियंत्र है।
(घ) “याचना” से विभिन्न दिनों के प्रांत या पास के साथ मेट्रो रेल में यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति अभियंत्र है।
(ड) तकनीकी योजना और मेट्रो रेल की सुरक्षा के संबंध में “केंद्रीय सरकार” से, भारत सरकार का रेल को देखने वाला मंत्रालय अभियंत्र है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या मेट्रो रेल नियम, 2013 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम या नियमों में क्रमशः उल्लिखित हैं।
3. दुर्घटना की सूचना.— (1) अधिनियम की धारा 38 के अधीन मेट्रो रेल के उस अनुभव का भारसाधक पद्धारी विना विलंब के मेट्रो रेल दुर्घटना की सूचना प्रक्रिया 1 में निम्नलिखित प्राधिकरियों को देगा, अर्थात्—

i. संबंध मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त;
ii. रेल मंत्रालय;
iii. शहरी विकास मंत्रालय;
iv. संबंध राज्य सरकार;
v. यातायाति, उपायुक्त या जिला कलेक्टर;
vi. पुलिस उपायुक्त, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई है;
vii. पुलिस रिजल्ट का भारसाधक अधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर दुर्घटना हुई है और
viii. ऐसा अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निर्देशित नियुक्त किया है।

(2) उपर्युक्त (1) के अधीन दुर्घटना की सूचना दिनी किसी विलंब के इंमेल या टेलिफोन या टेलिफोन से या विशेष निर्देशावधार के अनुसार उपयुक्त या ऐसे अन्य साधनों द्वारा मेट्री सरकार, जो उपलब्ध हो सके।

4. दुर्घटनासंचार पर पहुंचने की सूचिता— जब कभी मेट्रो रेल के कार्यालय के अनुभव में कोई दुर्घटना हो तो मेट्रो रेल प्रशासन, (क) यातायाति, उपायुक्त या जिला कलेक्टर, (ख) पुलिस उपायुक्त, (ग) अधिनियम की धारा 38 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट, (घ) जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग या कोई अन्य प्राधिकरण, जिसकी उनके जांच आयोग की अधिनियम के भीतर या कोई उपभोक्ता लागू कर दिए गए हैं, (ड.) आयुक्त, (च) बिजली अधिकारियों, (छ) पुलिस या (ज) अन्य किसी संबंध व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर समय तय कर दुर्घटने के लिए और दुर्घटना के कारण की जांच करने और उस पर आवश्यक साधन अभिप्राप्त करने के लिए अभी सुनिश्चित करना प्राप्त किया।

5. आयुक्त द्वारा दुर्घटनाओं की जांच— (1) आयुक्त, ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए, आवश्यक होगा, जिनके परिणामस्वरूप यात्री की मृत्यु या स्थायी स्थरूप की पूर्ण के अधिक निश्चित हो।

(2) आयुक्त, जैसे-राजस्थान रेलवे दुर्घटना राहत रेलवे दुर्घटना या डाबर वैमान या मेट्रो रेल पद्धारीयों का वहन करने वाली विभागीय रेलवे विभागों की त्रिपुरा में, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे पद्धारीयों की मृत्यु या घोट उपर्युक्त हो हो, उनके भी जांच करेंगे।

(3) आयुक्त, यदि आवश्यक समस्त, तो ऐसी दुर्घटनाओं की जांच कर सकेगे, जिनके परिणामस्वरूप मेट्रो रेल पद्धारीयों या विभागीय पायलट वाहन की जांच कर देंगे, तदनुसार मेट्रो रेल की छाँट या किसी संरचित रोलिंग स्टॉक के बाहर यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोट उपर्युक्त हो हो या मेट्रो रेल व्यक्ति कर मृत्यु या घोट उपर्युक्त हो।

6. जांच और उपस्थिति की सूचना— (1) आयुक्त या मेट्रो रेल प्रशासन, ऐसे मेट्रो रेल पद्धारी की, जिसका साथी आवश्यक है, ऐसी जांच की तारीख, समय और स्थान उपर्युक्त करने हेतु जांच की मृत्यु या प्रारंभ किया।

(2) मेट्रो रेल प्रशासन, जांच के स्थान पर ऐसे मेट्रो रेल पद्धारीयों की, जिनके साथी आवश्यक हो, उपस्थिति ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, स्थानीय सरकार करेगा।

(3) मेट्रो रेल प्रशासन अन्य व्यक्तियों की भी, जिनके संरक्षण ऐसे व्यक्ति द्वारा चार्जपार्श्वीय साधी भी है, जो जांच के दौरान साधन देने के लिए रजिस्ट्री हैं ऐसी तारीख, समय और स्थान की मृत्यु दिलायें, जब और जहां पर जांच की जाएगी।

7. आयुक्त द्वारा दुर्घटना की जांच की प्रक्रिया— (1) आयुक्त, नियम 3 के अधीन मृत्यु या प्रारंभ करने के पश्चात्, यातायाति, मेट्रो रेल प्रशासन को जांच करने का अपना आवश्यक अभिप्राप्त करेगा और ऐसी जांच की तारीख, समय और स्थान संभायित करेगा।

(2) आयुक्त, जांच की तारीख, समय और स्थान, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, उपायुक्त या जिला कलेक्टर और, यातायाति, संबंध पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा।
(3) उपयुक्त या जिला कलेक्टर और यथास्थिति, पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, यथासम्भव, आयुक्त द्वारा संचालित जाँच में व्यक्तित्व तुल्य व्यक्ति से हस्ताक्षर होना और जहाँ संभव नहीं है, वहाँ ऐसी जाँच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्याधिकारी की प्रतिनिधित्व करेगा।

(4) आयुक्त, जांच पूर्ण होने पर, भेंटरो रेल प्रशासन और रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त को दुर्घटना के आस्था कारण पर, इसके लिए उन्नत व्यक्तियों का संदर्भ दिए बिना, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या वह प्राणी की चुकू या किसी व्यक्ति की चुकू के कारण हुई थी।

(5) आयुक्त, यथासम्भवस्त्र, उपनियम (6) में यथाविनिर्दिष्ट विस्तृत रिपोर्ट रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट की प्रतिवेदि—

(i) भेंटरो रेल प्रशासन;

(ii) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय; और

(iii) संबद्ध राज्य सरकार;

को अप्रतिबिध करेगा।

परंतु जहाँ आयुक्त को यह पता चलता है कि ऐसी दुर्घटना अभिवंस या रेलगाड़ी ध्वंस के कारण हुई थी तो वह आयुक्त जो व्यक्ति की प्रति निदानक आयुक्त आयुक्त बुलाए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और संबद्ध पुलिस आयुक्त को भी अप्रतिबिध करेगा।

(6) आयुक्त द्वारा उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट गोपनीय होगी और उसमें निम्नलिखित विशेषताएं अतंतिक होगी, अर्थातः—

(क) दुर्घटना का संदर्भ वर्णन;

(ख) दुर्घटना के अवस्था का वर्णन;

(ग) लिए गए साक्ष्य और विश्लेषण;

(घ) प्रामाण्य, असहमति के टिप्पणी सहित, यदि कोई हो;

(ड) प्रामाण्य के लिए कारण;

(च) लिए गए नुकसान की प्रकृति और बिस्तार;

(छ) दुर्घटना के दृष्टि से विवादित या फॉटो; यदि आवश्यक हो;

(ज) मारे गए या आहत में रेल कर्मचारियों की संख्या;

(झ) मारे गए या आहत यात्रियों की संख्या;

(ञ) क्या वह प्राणी की चुकू रही है या किसी व्यक्ति की चुकू रही है;

(ट) दुर्घटनाओं के लिए उर्तरदाय के कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक निर्देश किए जाने वाले नियमों का उद्देश्य अंतित होने पर निर्देश दिए जाने और

(ट) प्रस्तावित उपनियमस्त्र कार्यान्वयन।

8. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा रिपोर्ट का प्रकाशन—मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, नियम 7 के उपनियम (5) के अधीन बिस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय का अनुमोदन लेने के पश्चात् रिपोर्ट का प्रकाशन कराएगा।
(2) जहां यदि रिपोर्ट के प्रकाशन पर शहीर विकास मंत्रालय की कोई शर्त है, वहाँ मुख्य रेल सरकार आवश्यक रिपोर्ट का प्रकाशन तब तक नहीं करेगा जब तक नागरिक विस्मान मंत्रालय द्वारा ऐसे मामले का अंतिम रूप से निर्णय नहीं कर दिया जाता।

9. मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा दर्पण की जांच—(1) यदि किसी कारण से आपूर्ति ऐसी किसी दर्पण को प्रटिपट होने के पात्रत्व किसी पूर्ववर्ती नागरिक की दर्पण का जांच करने में असमर्थ रहता है तो मेट्रो रेल प्रशासन को उसका कारण ज्ञान दिया के उसके द्वारा जांच करने नहीं की जा सकती है और तत्पश्चात् मेट्रो रेल प्रशासन नियम 10 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करवाया।

(2) जहां मेट्रो रेल के कार्यालयों द्वारा निर्देश 5 के उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट दर्पणों की प्रकृति की छाड़कर, कोई दर्पण या ऐसे नियमों के भंग के कारण या तकनीकी/विश्वसनीयता चूक के कारण घटित होता है, तो मेट्रो रेल प्रशासन नियम 10 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसी दर्पण की जांच करवाया।

10. मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा जांच की प्रक्रिया—(1) मेट्रो रेल प्रशासन, नियम 9 के उप-नियम (1) के अर्थात् आदेश से सूचना की प्राप्ति पर या जहां उसके उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई दर्पण घटित होती है, ऐसे कारणों की, जिनकी ऐसी दर्पण घटित हुई है, व्याख्यान के माध्यम से की जाने बाती या तो संयुक्त जांच या विशाल जांच करवाया।

(2) संयुक्त मेट्रो रेल प्रशासन समूह का जांच करने के लिए मेट्रो रेल अधिकारियों की समिति गठित करेगा और उस समिति का आवश्यक आदेश/अनुदेश देगा।

(3) जहां मेट्रो रेल प्रशासन का कोई विभाग दर्पण के लिए उत्तरदायी पावर जाता है या वह ऐसी दर्पणी के लिए उत्तरदायी स्वीकार करता है, वह मेट्रो रेल प्रशासन विभागीय जांच करवाया और ऐसी दर्पणी के लिए उत्तरदायी विभाग के प्रमुख को ऐसे उपयोग, जो ऐसी दर्पणों की पुनर्विश्वास की नियाेरत करने के लिए आवश्यक हो, करने के लिए आवश्यक आदेश/अनुदेश देगा।

(4) वाचनिकता, संयुक्त जांच या विभागीय जांच प्रारंभ करने से पूर्व, मेट्रो रेल प्रशासन का भारसाधक अधिकारी जांच की तारीख, स्थान और वक्ता सुचित करते हुए सूचना निम्नलिखित अधिकारियों को दिलानेगा, अथवा—

(क) आयुक्त;

(ख) उस जिले का, जिसकी अधिकारियों में दर्पण प्रदत्त हुई हो, क्षतिग्रस्त, उपयुक्त या केलेक्टर या ऐसा अन्य अधिकारी, जिससे राजकीय सरकार इस निर्दिष्ट नियुक्त करें;

(ग) पुलिस उपायुक्त, जिसकी अधिकारियों में ऐसा स्थान है, जहाँ दर्पण प्रदत्त हुई है; और

(घ) पुलिस शाखा के भार साधक अधिकारी, जिसकी अधिकारियों में ऐसा स्थान है।

(5) दर्पण के कारण के व्याख्या और नियम 7 के उप-नियम (6) में व्यापक विनिर्दिष्ट समस्त विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट करने हुए, क्षतिग्रस्त, संयुक्त जांच या विभागीय जांच की विलुप्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मेट्रो रेल प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) मेट्रो रेल प्रशासन, उप-नियम (5) के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, दर्पण के लिए उत्तरदायी कमेंटरियंड की बात की जाने बाती कार्रवाई पर अपनी निपटान और मेट्रो रेल के कार्यालयी कारणों में या नियमों में किये जाने बाली पुनरीक्षण, इसे कोई ही, महत्व रिपोर्ट की प्रति आवश्यक और रेल मंत्रालय को अनुप्रेषित करेगा।

11. दर्पणों की विशेषता विवरणी—(1) प्रस्तुत विशेषता वर्ष की समाप्ति पर, मेट्रो रेल प्रशासन उस विशेषता वर्ष के दौरान मेट्रो रेल पर घटित हुई समस्त मेट्रो दर्पणों को विशेष विवरणी प्रकार 2 में तैयार करेगा और भारत सरकार के शहीर विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय को अनुप्रेषित करेगा।
### प्रमुख - 1
(नियम 3 देखिए)

#### दुर्घटना की सूचना

<table>
<thead>
<tr>
<th>दुर्घटना की तारीख और समय</th>
<th>दिन/मास/वर्ष को चांडिमिनट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>से‌व्यालन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>व्याकरण से‌व्यालन/स्टेशन पर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यवालन प्रणाली</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>गाड़ी सं.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>भार</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संक्षेप विवरण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आहत या मृत व्यक्ति</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सहायता व्यवस्थाएं</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>घटनास्थल पर अधिकारीगण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रमुखस्थान कारण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रत्यावर्तन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अन्य सूचना</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>राज्य/जिला</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### प्रमुख - 2
(नियम 11 देखिए)

#### दुर्घटनाओं की वापरिक विवरणी

<table>
<thead>
<tr>
<th>आहत या मृत व्यक्ति की संख्या</th>
<th>पंजीकृत व्यक्ति के पास</th>
<th>पंजीकृत व्यक्ति के जी</th>
<th>पंजीकृत व्यक्ति के अंस</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>के</td>
<td>जी</td>
<td>अंस</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### दुर्घटना का प्रकार (नाम)

तारीख: दिन/मास/वर्ष

**पदनाम**
<table>
<thead>
<tr>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>13</th>
<th>14</th>
<th>15</th>
<th>16</th>
<th>17</th>
<th>18</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>पी</td>
<td>यात्री</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आर</td>
<td>स्ट्रोर्मपरिष्कर</td>
<td>(मेट्रो स्टाफ)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जी</td>
<td>अत्यंत व्यक्ति</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जी</td>
<td>जीतीर रूप से आहत</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एस</td>
<td>साधारण आहत</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[फार्म, के. No. 14011/17/2013-मणिआर्टीएस-2]
मी. के. बेतान, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th December, 2014

G.S.R. 898(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Metro Railways (Notice of Accidents and Inquiries) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Commissioner" means the Commissioner of Metro Railway Safety appointed under section 7 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) “Passenger” means a person travelling on the metro railway with a valid ticket or pass;

(e) "Central Government" in relation to technical planning and safety of metro railways means the Ministry of the Government of India dealing with Railways.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act or the Metro Railways General Rules, 2013 shall have the same meaning as respectively assigned to them in that Act or rules.

3. **Notice of accident.**—(1) A notice of metro railways accident under section 38 of the Act shall be given without delay by the metro railway official in charge of the section of the metro railway to the following authorities in Form I, namely:—

i. the Commissioner of Metro Railway Safety concerned;
ii. the Ministry of Railways;
iii. the Ministry of Urban Development;
iv. the State Government concerned;
v. the Deputy Commissioner or the District Collector, as the case may be;
vi. the Deputy Commissioner of Police, within whose jurisdiction the accident has occurred;
vii. the Officer in-Charge of the police station within local limits of which the accident has occurred; and
viii. such other Magistrate or police officer as may be appointed in this behalf by the Central Government.

(2) A notice of accident under sub-rule (1) shall be sent without delay by email or telefax or telephone or through a special messenger or such other means as may be available.

4. Facility for reaching the site of the accident.—Whenever any accident has occurred in the course of working of the metro railway, the metro railway administration shall extend all reasonable assistance to (a) the Deputy Commissioner or the District Collector, as the case may be, (b) the Deputy Commissioner of Police, (c) the Magistrate appointed under section 38 of the Act, (d) the Commission of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) or any other authority to whom the provisions of the said Commissions of Inquiry Act have been made applicable, (e) the Commissioner, (f) the Medical Officers, (g) the Police or (h) any other person concerned to reach the site of the accident promptly and to make inquiry into the cause of the accident and obtain necessary evidence thereon.

5. Inquiry of accidents by the Commissioner.—(1) The Commissioner shall be bound to hold inquiry into the accidents which result in death or total or partial disablement of permanent nature to a passenger.

(2) The Commissioner shall also hold inquiry in any accident involving non-revenue train or accident relief train or tower wagon or departmental train carrying metro railway officials resulting in death or grievous hurt to such officials.

(3) The Commissioner may, if he considers necessary, inquire into the accidents resulting in the death or grievous hurt to a metro railway official or to any other person holding a valid pass or ticket but travelling outside the rolling stock including on the roof or buffers of the metro railway or is run over on the metro railway track.

6. Notice of Inquiry and attendance.—(1) The Commissioner or the metro railway administration shall cause notice of inquiry to be given to such metro railway official whose evidence is necessary informing the date, time and place of such inquiry.

(2) The metro railway administration shall arrange for the attendance of metro railway officials at the place of inquiry whose evidence is necessary for such period as may be necessary.

(3) The metro railway administration shall also cause notice of the date, time and place at which the inquiry shall be held to such other persons including passengers and eyewitnesses who are willing to give evidence during the inquiry.

7. Procedure for inquiry into accident by the Commissioner.—(1) The Commissioner shall, as soon as may be, after receiving notice under rule 3, notify the metro railway administration of his intention to hold inquiry and communicate the date, time and place of such inquiry.

(2) The Commissioner shall inform the Chief Secretary of the State Government, the Deputy Commissioner or the District Collector and the concerned Commissioner of Police or the Superintendent of Police, as the case may be, the date, time and place of inquiry.

(3) The Deputy Commissioner or the District Collector and the Commissioner of Police or Superintendent of Police, as the case may be, shall, as far as possible, personally attend the inquiry conducted by the Commissioner and where not possible, depute a senior officer to represent him at such inquiry.
(4) On completion of the inquiry, the Commissioner shall submit to the metro railway administration and the Chief Commissioner of Railway Safety, a preliminary report on the immediate cause of accident, whether it was due to system failure or human failure, without making any reference to the persons responsible for the same.

(5) The Commissioner shall, as soon as possible, submit a detailed report as specified in sub-rule (6) to the Chief Commissioner of Railway Safety and shall forward copies of this report to—

(i) the Metro Railway Administration;

(ii) the Government of India in the Ministries of Urban Development and Railways;

(iii) the State Government concerned;

Provided that where the Commissioner finds that such accident was caused by sabotage or train wrecking, he shall also forward a copy of his report to the Director, Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs in the Government of India and the Commissioner of Police concerned.

(6) The detailed report to be submitted by the Commissioner under sub-rule (5) shall be confidential and shall contain the following particulars, namely:—

(a) brief description of the accident;

(b) description of the locality of the accident;

(c) detailed statement of the evidence taken;

(d) the conclusions arrived at together with a note of dissent, if any;

(e) reasons for the conclusion arrived at;

(f) the nature and extent of the damage done;

(g) a sketch or photograph illustrative of the accident, if necessary;

(h) the number of metro railway employees killed or injured;

(i) the number of passengers killed or injured;

(j) whether it has been a system failure or failure of an individual;

(k) an appendix containing extracts of the rules violated by the staff responsible for the accidents; and

(l) remedial actions proposed.

8. Publication of report by the Chief Commissioner of Railway Safety.—(1) After receiving the detailed report under sub-rule (5) of rule 7, the Chief Commissioner of Railway Safety shall, after taking approval of the Ministry of Urban Development and the Ministry of Railways in the Government of India, cause publication of the report.

(2) Where the Ministry of Urban Development has any reservations on publication of the report, the Chief Commissioner of Railway Safety shall not cause publication of the report until the matter is finally decided by the Ministry of Civil Aviation.

9. Inquiry into accidents by the Metro Railway Administration.—(1) If for any reason, the Commissioner is unable to hold an inquiry into an accident at an early date after the occurrence of such an accident, he shall inform the metro railway administration the reason as to why the inquiry cannot be held by him and thereafter the metro railway administration shall cause an inquiry to be held in accordance with the procedure specified in rule 10.

(2) Where, in the course of working of metro railway, any accident, excluding the nature of accidents specified in sub-rules (1) & (2) of rule 5, occurs either on account of breach of rules or due to technical/human failure, the metro railway administration shall cause an inquiry to be held into such accident in accordance with the procedure specified in rule 10.
10. Procedure for inquiry by the Metro Railway Administration.—(1) On receipt of information from the Commissioner under sub-rule (1) of rule 9 or where an accident of the nature specified in sub-rule (2) thereof occurs, the metro railway administration shall cause either a joint inquiry or a departmental inquiry to be held for thorough investigation of the causes which led to such accident.

(2) The metro railway administration concerned shall constitute a Committee of Metro Railway Officers for holding a joint inquiry and give necessary orders/instructions to that Committee.

(3) Where any department of the metro railway administration concerned is found responsible for the accident or it accepts the responsibility for such accident, the metro railway administration shall cause a Departmental Inquiry to be held and shall give necessary orders/instructions to the Head of the Department responsible for such accident to adopt and suggest such measures as may be necessary to prevent recurrence of such accidents.

(4) Before initiating a joint inquiry or departmental inquiry, as the case may be, the office-in-charge of the metro railway administration shall cause a notice to be given informing the date, place and time of the inquiry to the following officers, namely:-

(a) the Commissioner;
(b) the Deputy Commissioner or the District Collector as the case may be, of the district in whose jurisdiction the accident occurred or such other officer as the State Government may appoint in this behalf;
(c) the Deputy Commissioner of Police having jurisdiction at the place where the accident occurred; and
(d) the officer-in-charge of the police station having jurisdiction at such place.

(5) A detailed report of the Joint Inquiry or the Departmental Inquiry, as the case may be, containing details of the cause of the accident and all particulars as specified in sub-rule (6) of rule 7 shall be prepared and submitted to the metro railway administration.

(6) The metro railway administration shall, after receiving the report under sub-rule (5), forward a copy of the report to the Commissioner and Ministry of Railways alongwith his recommendation on the action to be taken in regard to the staff responsible for the accident and revision if any, to be made in the rules or in the system of working of metro railway.

11. Annual Return of accidents. - (1) At the end of each financial year, the metro railway administration shall prepare and forward to the Ministry of Urban Development and the Ministry of Railways in the Government of India, an annual return of all accidents that have occurred on the metro railway during that financial year in Form II.

FORM I
(See rule 3)

NOTICE OF ACCIDENT

Consequential Train Accident Message No.:

ACCIDENT* OF PASSENGER TRAIN ON METRO RAILWAY ON DD/MM/YYYY

Information received from Nodal Officer / Metro at HH : MM hrs on DD/MM/YYYY

<table>
<thead>
<tr>
<th>Date and Time of Accident</th>
<th>DD/MM/YYYY</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Section</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Block Section/At Station</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>System of Working</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Train No.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Load</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brief Particulars</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Casualty</td>
<td>Relief Arrangements</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Type of Accident

Date: DD/MM/YYYY

(Name)

Designation

**FORM II**

(See rule 11)

**ANNUAL RETURN OF ACCIDENTS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Date</th>
<th>Regions</th>
<th>taient</th>
<th>Section</th>
<th>Act Stn.</th>
<th>Mid Sect.</th>
<th>Al. Sect.</th>
<th>Act No.</th>
<th>Brief Particulars</th>
<th>Fac No.</th>
<th>Final Cause</th>
<th>Cost of Damage</th>
<th>Interrog.</th>
<th>Inf/Inc.</th>
<th>Findings</th>
<th>Outcome</th>
<th>Responsibility</th>
<th>Action Taken</th>
<th>Whether Section 45 (Year No)</th>
</tr>
</thead>
</table>

*P - Passenger
*R - Staff (Metro Staff)
*O - Others
*K - Killed
*G - Grievous Injured
*S - Simple Injured

C. K. KHATTAR, Jr. Secy.